न्यूज लेटर

सेतु

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा बाल संरक्षण को समर्पित

unicef
unite for children

SPUP
Knowledge Is Power

Center for Child protection

सितम्बर 2017 अंक: 8

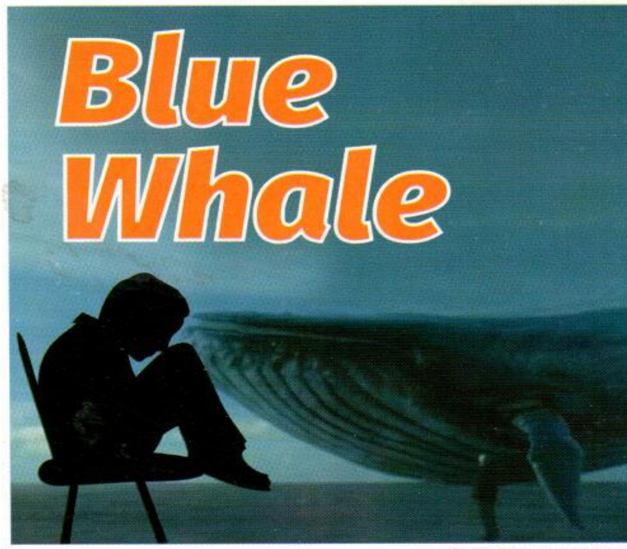

आभार : www.ytimg.com

निदेशक की कलम से

बच्चों की सुरक्षा एक बहुत गंभीर मसला है। जिस और सभी वर्गों और संस्थाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। कमजोर, लाचार और वंचित बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का सामना आये दिन करना पड़ता है। आज बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पहले माना जाता था कि बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह उनका घर होता है, लेकिन अनेक अध्ययनों से सामने आया है कि घर भी बच्चों की सुरक्षा की गारण्टी नहीं दे सकता है और यह बात यौन उत्पीड़न के केस में दिखाई देती है। नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो 2014 के आंकड़े देश में बच्चों के प्रति हो रही हिंसा की चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। देश में बड़े पैमाने पर हो रहे बाल विवाह भी बच्चों के पूर्ण विकास को रोकता है। बाल विवाह के कारण बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्पूर्ण जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यह एक सामाजिक कुरीति है। यूनिसेफ द्वारा ''एंडिग चाइल्ड मैरिज प्रोग्रेस एण्ड प्रोस्पेक्ट्स'' शीर्षक से बाल विवाह से सम्बन्धित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल बालिका वधु की एक तिहाई बालिका वधु भारत से है। प्रदेश में लड़कियों के बाल विवाह की दर बढ़ रही है। शिक्षा बच्चों का मूलभूत अधिकार है, लेकिन आज भी देश के हजारों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और बाल श्रम करने को मजबूर हैं। देश में 5 से 14 साल के कुल बच्चों में से 1.01 करोड़ बच्चे श्रम करते हैं। बच्चे अपने जीवन में इनके अलावा और भी समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे विस्थापन, पलायन, बाल तस्करी, घरेलू काम, पोर्नोग्राफी, भिक्षावृत्ति, बंधुआ मजदूरी, अपराध में संलिप्तता, दंगे आदि। इन सभी समस्याओं को देखते हुए उनके प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

हाल ही के दिनों में खतरनाक ब्लू व्हेल गेम बहुत चर्चा में है, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि दूरदर्शन और निजी चैनलों को इस गेम के नुकसान के बारे में अपने प्राईम टाईम प्रोग्राम के द्वारा जागरूकता फैलानी चाहिये। ब्लू व्हेल एक ऑनलाईन गेम है। इसमें कुछ स्टेप्स के बाद इसे खेलने वाले को खुदखुशी के लिए उकसाया जाता है। इस तरह से ऑनलाईन गेम्स जिन्दगी के लिए खतरा हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए। अकेले और डिप्रेशन के शिकार बच्चे इस तरह के खतरनाक गेम्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाल अधिकारों पर कार्यरत संस्थानों, एकेडमिशियन, मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी तथा प्रशासन को जागरूक एवं सजग रहना चाहिए। ब्लू व्हेल एवं ऐसे अन्य गेम से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को अवेयर (जागरूक) करना चाहिए ताकि बच्चे इसके शिकार ना हो।

हमारे संविधान में बच्चों के सुरक्षा, संरक्षण, देखभाल और विकास को लेकर बहुत प्रबंध किये हैं उसे पूरा करना सरकार और हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों के अधिकार को देने की पहल हम सबको मिलकर के ही करनी होगी।

इस प्रावधान के अन्तर्गत देश में बच्चों को सुरक्षा, संरक्षण और उनके सम्पूर्ण विकास के लिए कई कानून / नीतियाँ बनायी गयी हैं। जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, बच्चों की सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम, 2012, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, अनैतिक मानव व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1986, एकीकृत बाल विकास योजना आदि प्रमुख हैं। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग बनाये गये हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हेतु इस त्रैमासिक अंक में बाल सुरक्षा विषय को चुना गया है। जिसके अन्तर्गत ब्लू व्हेल गेम, बाल विवाह एवं अन्य बाल सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में विशिष्ट जानकारी दी जा रही है।

– **राजीव शर्मा** (IPS)
डॉयरेक्टर, सेंटर फॉर चाईल्ड प्रोटेक्शन

ब्लू व्हेल चैलेंज (चुनौती) हम सभी को क्या जानकारी होनी चाहिये ताकि इस समस्या से निपटा जा सके –

ब्लू व्हेल चैलेंज क्या है और माता–पिता को इस बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए –

ब्लू व्हेल चुनौती एक ऑनलाइन गेम है खेल का नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि कभी–कभी व्हेल समुद्र तट पर खुद को जानबूझकर मरने के लिए आती हैं। जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।

इस गेम में, एक ऑनलाइन व्यवस्थापक अपने प्रतिभागियों को कार्य प्रदान करता है। प्रतिभागियों को प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए 50 दिनों की अवधि दी जाती है। खिलाड़ियों को यह चुनौती को स्वीकार करते हुए खुद की फोटो लेनी होती है और उसे अपलोड़ करना होता है। इस खेल की आखिरी चुनौती आत्महत्या करना है। इस खेल के खिलाड़ी खेल बीच में नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और खेल को पूरा करने के लिए उन पर दवाब डाला जाता है।

यह घातक खेल पूरे विश्व में फैल चुका है और भारत में रिर्पोटों (रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2) के अनुसार बच्चे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या के कुछ मामले भी सामने आये हैं।

बच्चे इस खेल को कहाँ से ले सकते हैं या कहाँ से इस खेल तक पहुंच सकते हैं?

ब्लू व्हेल एक स्वतंत्र रूप से डाउनलोड करने योग्य गेम, एप्लिकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। बच्चे इस खेल को अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या किसी सामाजिक लिंक (जैसे फेसबुक) से डाउनलोड़ नहीं कर सकते। इस खेल को सोशल मीडिया नेटवर्क पर गुप्त समूहों में भेजा जाता है। इस खेल में क्रिएटर अर्थात रचनाकार अपने खिलाड़ियों/ शिकार की तलाश करते हैं और उन्हें एक निमंत्रण पत्र भेज कर इस खेल में शामिल होने को कहते हैं।

इस खेल में कौन–कौन सी चुनौतियां आती है?

इस खेल की कुछ चुनौतियां नीचे दी गई हैं। यह चुनौतियों की लिस्ट (सूची) कोई स्टैंडर्ड सूची नहीं है। यह भी संभव है कि खेल का क्यूरेटर (निरीक्षक) किसी नई चुनौती के साथ आ सकता है।

1. रेजर/चाकू/उस्तरे से अपने हाथ की चमड़ी को काटकर "F57" लिखें और क्यूरेटर को उसके फोटो भेजना।

2. सुबह 4:20 पर जगें और क्यूरेटर द्वारा भेजी गई डरावनी वीडियो देखें या मन को खराब करने वाली अजीबो गरीब चीजें देखना।
3. अपने हाथ की चमड़ी पर रेजर/चाकू या किसी धारदार वस्तु से केवल 3 निशान बनायें (जो ज्यादा गहरे न हों) और क्यूरेटर को इसकी फोटो भेजना।
4. एक कागज पर ब्लू व्हेल का चित्र बनाएं और क्यूरेटर को एक फोटो भेजना।
5. अगर आप "ब्लू व्हेल" बनाने के लिए तैयार हैं, तो अपने पैरों पर "हाँ" बनायें और नहीं हैं, तो खुद को सजा के तौर पर कई बार काटना।
6. गुप्त रूप से कार्य करना।
7. अपने हाथ पर "F40" का निशान खोदना (धारदार वस्तु से) और क्यूरेटर को फोटो भेजना।
8. अपने डर को दूर करना।
9. सुबह 4:20 बजे उठाना और छत पर भेजना (जितनी ऊँची जगह उतना बेहतर ही बताना)।
10. किसी धारदार वस्तु से अपने हाथ पर एक व्हेल बनाना और क्यूरेटर को फोटो भेजना।
11. पूरे दिन डरावनी और विकृतकारी वीडियो देखना।
12. क्यूरेटर द्वारा भेजे गए संगीत को सुनना।
13. अपना होंठ काटना।
14. अपने हाथ को कई बार सुई से छेदना।
15. अपने साथ कुछ दर्दनाक करें, अपने आप को 17 बार बीमार बनाना। सबसे ऊँची छत जो आप पा सकते हों वहाँ

भेजना और एकदम किनारे पर कुछ समय के लिए खड़े कराना।

16. किसी पुल पर भेजना और उसके किनारे पर खड़े कराना।
17. एक क्रेन पर चढाना या कम से कम चढ़ने की कोशिश कराना।
18. क्यूरेटर बीच–बीच में इस बात की जांच करता है कि क्या आप भरोसे के लायक हैं।
19. स्काइप पर व्हेल (अपने जैसे किसी दूसरे खिलाड़ी या क्यूरेटर) से बात करना।
20. ऊँची छत पर भेजना और उसके किनारे पर पैर लटकाकर बैठानां।
21. क्यूरेटर द्वारा आपको मौत की तारीख बताना और आपको उसे स्वीकार करवाना।

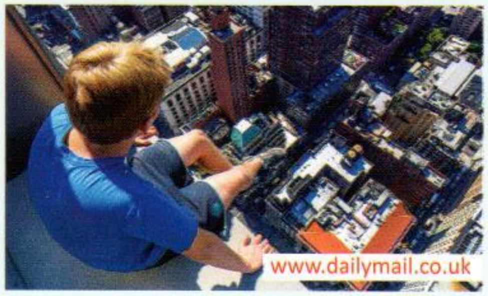

22. सुबह 4:20 उठाना और किसी रेलपटरी पर भेजना (किसी भी रेल रोड़ पर भेजना)
23. पूरे दिन किसी से बात नहीं करने के लिए कहना।
24. रोज सुबह 4:20 पर उठाना।
28. किसी ऊँची इमारत से कूद कर अपनी जान देने को उकसाना।

सरकार ने इंटरनेट कंपनियों को इस खेल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये हैं। पर माता–पिता को क्या अभी भी चिंतित होना चाहिए?

1. हालांकि सरकार ने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सभी कम्पनियों को कहा है कि वे इस खतरनाक खेल से सम्बन्धित लिंक को तुरन्त हटा दें और कोशिश करें कि यह आगे की ओर न बढ़े, पर अभी यह सपष्ट नहीं है कि ये कंपनियां किस तरह इस खेल को रोक पायेंगी क्योंकि यह खेल सार्वजनिक और स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध नहीं है, यह खेल गुप्त रूप से खिलाड़ियों तक पहुँचता है और इन्हें खेल का हिस्सा बनाता है। आप इस खेल का हिस्सा केवल तभी बन सकते हैं जब कोई क्यूरेटर आपको संपर्क करेगा और संभावित से इस खेल का व्हेल या उम्मीदवार चुनेगा।
2. इसके अलावा, यह खेल अब कुछ अलग नामों से भी उपलब्ध है जैसे कि ए साइलेंट हाउस, ए साइड ऑफ व्हेल्स और वेक मी अप एट 4:20 ए.एम इनसे भी सावधान रहना चाहिए।

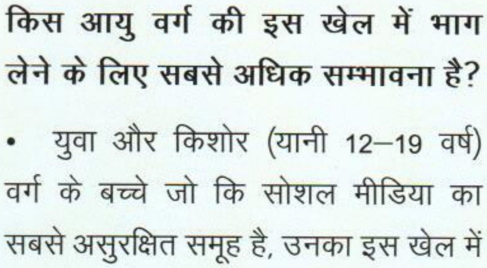

किस आयु वर्ग की इस खेल में भाग लेने के लिए सबसे अधिक सम्भावना है?

- युवा और किशोर (यानी 12–19 वर्ष) वर्ग के बच्चे जो कि सोशल मीडिया का सबसे असुरक्षित समूह है, उनका इस खेल में फंसने की सबसे अधिक संभावना है।

वे कौन से लक्षण या पहचान चिन्ह है जिनसे आप मालूम कर सकते हैं कि यह युवा/किशोर इस खेल में शामिल हो सकता है या उसके शामिल होने की सम्भावना है।

- अधिकांश मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब एक बच्चा ज्यादा समय अपने साथ ही या अकेले बिताने लगे, परिवार और दोस्तों के साथ, बातचीत करना बंद कर दे, अक्सर घर से भागने के या मौत के बारे में बात करने लगे, या बच्चे के खाने या सोने की आदतों में आने लगे तो परिवार को बच्चे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे ने इस खेल में भाग लेना शुरू कर दिया है तो। यह कुछ विशेष परिवर्तन और लक्षण हैं जो कि उसमें देखे जा सकते हैं।

माता–पिता अपने बच्चों को ऐसे घातक ऑनलाइन खेल में भाग लेने से कैसे रोक सकते हैं?

नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनसे आप अपने बच्चों को ऐसे ऑनलाइन खेलों से दूर रख सकते हैं –

1. किसी भी समस्या के बारे में सही जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम अभी तक इस मुद्दे पर कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि अब तक हुई आत्महत्याऐं इस खेल से जुड़ी हैं या नहीं? हो सकता है कि आपका बच्चा समाचार– पत्रों के माध्यमों से इस खेल के बारे में तमाम चर्चाओं के कारण इस विषय को लेकर जिज्ञासित हो। इस विषय पर उठे तमाम सवालों और अनिश्चिताओं को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों से इस पर चर्चा करें और ऐसे उपाय करें जिससे कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटित न हो।
2. यह सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा अपनी उम्र के उपयुक्त ऑनलाइन साइट्स तक पहुँचे जो कि उसे किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार या अनैतिक व्यवहार की ओर न ले जाये।
3. हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा घर में आम जगह पर पर रखे गए कंप्यूटर से ही इंटरनेट पर काम कर रहा हो।

parents.com

4. नियमित रूप से अपने बच्चे से बात करें। ऑनलाइन दुनिया का उसके साथ बैठकर प्रयोग करें और ऐसी ऑनलाइन साइट्स उसे दिखाएं जो कि अच्छी ऑनलाइन गतिविधियों और नैतिक आदतें बच्चों को सिखाती हों।
5. बच्चों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं सभी इंटरनेट उपकरणों पर पैरेंटल कंट्रोल का प्रयोग करना चाहिए तथा बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
6. अपने बच्चों के लिए एक आदर्श माता पिता बने और खुद की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति भी सतर्क रहें।
7. अन्य अभिभावकों से बात करें और यदि कोई चिंता हो तो आपस में बात कर के बच्चों की मदद करने के लिए सही तरीकों पर चर्चा करें।
8. इंटरनेट की दुनिया से अपने को परिचित रखें।
9. अपने बच्चों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रखें। उसके किसी भी असामान्य व्यवहार जैसे कि चिड़चिड़ापन, कम बात करना, पढ़ाई में रुचि की कमी और स्कूल में नंबर कम आना आदि से सावधान हो जाएं और इस तरह के बदलाव को ध्यान में रखते हुए उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को ध्यान से देखें तथा स्कूल के अधिकारियों से बात करें या बाल मनोवैज्ञानिक से परामर्श करें।
10. यदि आपको पता चलता है कि आपका बच्चा पहले से ही ब्लू व्हेल चैलेंज खेल रहा है, तो तुरंत उसे किसी भी उपकरण/डिवाइस से इंटरनेट का उपयोग करने से रोकें।
11. स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें कि अब तक क्या हुआ है और आगे क्या करना है इस पर उनकी सलाह लें।

इस विषय पर शिक्षक कैसे मदद कर सकते हैं?

- शिक्षकों को बच्चों के गिरते ग्रेड पर व सामाजिक व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए।
- उन्हें हर बच्चे के व्यवहार पर लगातार नजर रखनी चाहिए।

www.pcmag.com

- शिक्षकों को बच्चे के असामाजिक व्यवहार/क्रियाकलापों पर नजर रखनी चाहिए और ऐसे बच्चों से व्यक्तिगत रुप से बात करनी चाहिए जो कि दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा बात नहीं करते या फिर कटे कटे रहते हैं।
- अगर बच्चों में उन्हें कोई चीज संदेहास्पद या खतरनाक लगती है तो उन्हें तुरंत स्कूल अधिकारियों को इस बारे में सूचित करना चाहिए
- शिक्षकों को भी यह सूचित करना चाहिए कि बच्चे स्कूल में किसी गैजेट/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग न करें

- उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बच्चे को समय पर इंटरनेट के लाभ व हानियों के बारे में जानकारी देते रहें।

पुलिस आपके साथ सदैव –

ब्लू व्हेल गेम के बारे में जो बात पता चली है उसके अनुसार ज्यादातर बच्चे इस से बाहर इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर इन्हें धमकाता है। उन्हें उनके माता–पिता, भाई–बहन को मारने की धमकी देता है। भावनाओं में बहकर बच्चे मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन बच्चों को चिंता या डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग

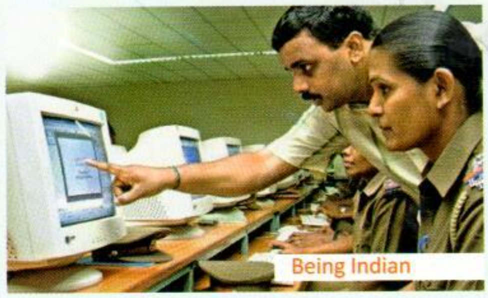

आपको डरा तो सकते हैं लेकिन अपनी धमकी को पूरा करने की हिम्मत व साधन उनके पास नहीं है। इसके अलावा अगर कोई आप से जोर जबरदस्ती करें, कोई आप को धमकाये, आपको डर दिखाकर कोई गलत काम करने को कहे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें पुलिस आपकी मदद के लिए तैयार है। इसके अलावा आप चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 भी मदद मांग सकते हैं।

(यह लेख ncpcr के निर्देशानुसार है जिसकी अधिक जानकारी इसकी बेवसाईट www.ncpcr.gov.in पर देख सकते हैं।

बाल विवाह सामाजिक बुराई एवं कानूनन एक दंडनीय अपराध

बाल विवाह मुक्त प्रदेश की और कदम –

राष्ट्रीय नीति ने माना कि पिछले 15 साल में बाल विवाह के मामलों में 11 फीसदी की कमी आई है। इस रफ्तार से बाल विवाह खत्म करने में 50 साल और लग जाएंगे। देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हैं और समय के अनुसार उसमें लगातार संशोधन कर उसे और प्रभावशाली

बनाया गया है फिर भी इस पर लगाम नहीं लग सकी है। अगर सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अंत नहीं हो पा रहा है, तो इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है और इसका निदान सामाजिक जागरुकता से ही संभव हो सकेगा। केवल कानून बनाने से यह खत्म नहीं होने वाली है सामूहिक व व्यक्तिगत स्तर पर इसके खिलाफ अभियान चलाने की जरूरत है।

बाल विवाह और कानून –

भारत सरकार बच्चों को सभी प्रकार के उत्पीड़न से बचाने और उन्हें सम्मानजनक बचपन का अधिकार देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र भेदभाव समझौता (यूएनसीआरसी), महिला विरोधी भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा (ईएससीआर) प्रमुख है। बाल विवाह प्रथा की रोकथाम के लिए एक समग्र व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2007 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया और यह 1 अक्टूबर 2007 से लागू है।

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में 21 साल से कम उम्र के लड़कों और 18 साल की कम उम्र की लड़कियों की शादी को गैरकानूनी करार दिया गया है। धारा 2(ए)
- इस कानून के तहत बाल विभाग अवैध और जूर्म करार दिया गया है। धारा 3(1)
- इस कानून के तहत बाल विवाह को अनुमति देने, विवाह तय करने, विवाह करवाने या समारोह में हिस्सा लेने वाले लोगों को सजा देने का प्रावधान है।
- लड़के द्वारा 21 वर्ष कम उम्र में किए गए विवाह को बाल विवाह माना गया है। ऐसा करने पर उसे 2 वर्ष तक की सजा किया एक लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाऐं मिल सकती हैं। धारा 9
- बाल विवाह करवाने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सजा तथा 1 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

SPUP Knowledge Is Power · unicef unite for children · Center for Child protection

बाल विवाह कैसे रोक सकते हैं –

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कोई व्यक्ति पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, अनुमंडल

पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज करवाता है तो शादी रोकी जा सकती है। पुलिस या बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जांच करके मामले को मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हैं और उसे रोकने का आदेश जारी करवा सकते हैं। (धारा–13)

- बाल विवाह के पहले या बाद में कोई भी व्यक्ति इस घटना की सूचना बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना, ग्राम पंचायत के सरपंच को मौखिक, लिखित, डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को विभिन्न अधिकारी सूचना दे सकते हैं।

बाल विवाह रोकने के लिए याचिका –

- बाल विवाह रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति या संगठन हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर सकता है या अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कुछ पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया है जो बाल विवाह रोकने में जरूरी पहल कर सकते हैं यह पदाधिकारी निम्नलिखित हैं –
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी,• जिला पदाधिकारी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, पारिवारिक अदालत, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच आदि ।

बाल विवाह को रोकें तथा ऐसा करने वालों को टोकें –

यदि बाल विवाह होने जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति पुलिस या न्यायालय (मजिस्ट्रेट) के समक्ष रिपोर्ट या परिवाद दायर कर सकता है। पुलिस आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर सकती है। न्यायालय बाल विवाह रोकने के लिए अविलम्ब स्टे जारी कर सकता है। बाल विवाह के अपराध पर इसमें सहयोग व प्रेरित करने वाले परिवारजन, पंडित, नाई, बाराती, बैंड वाले व अन्य सभी दोषियों को 2 वर्ष की अवधि का कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।

बाल विवाह के संबंध में सूचना संबंधित किसी भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड अधिकारी, पुलिस प्रशासन एवं जन सेवक को दी जा सकती है।

कानून का जोरदार ढंग से हो प्रचार

बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए समाज को ही आगे आना होगा तथा बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना होगा। अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति सचेत करना होगा। सरकार को भी बाल विवाह की रोकथाम के लिए बने कानून का जोरदार ढंग से प्रचार व कड़ाई से पालन कराना होगा।

बाल विवाह प्रथा के खिलाफ समाज में महा अभियान चलाना होगा। जब तक हर व्यक्ति इसके खिलाफ जागरूक नहीं होगा, इसे खत्म करने में तेजी नहीं आएगी। साथ ही साथ सरकार को रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे, ताकि गरीब परिवार गरीबी की जकड़ से मुक्त हो सके और इन परिवारों की बच्चियाँ बाल विवाह का निशाना न बन पाएं। बीते एक दशक में बाल विवाह में कमी आई है लेकिन इसे खत्म करने की गति बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास बहुत जरूरी हैं।

हम यह भूमिका निभा सकते हैं –

हम व्यक्तिगत रूप से बाल अधिकारों के उल्लंघन और कम उम्र में विवाह से सेहत के लिए पैदा होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता ला सकते हैं। बाल विवाह की सूचना अधिकृत व्यक्तियों को देकर उसकी रोकथाम करने और संलिप्त व्यक्तियों को सजा दिलवाने में मदद कर सकते हैं। इस सामाजिक लड़ाई में और लोगों को जोड़ने की पहल करें तो संदेश अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा, एक एक व्यक्ति जुड़ेगा तो इस लड़ाई में पूरा राजस्थान भागीदार बन जाएगा।

मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी –

बालक हमारे देश के भावी नागरिक हैं। शिक्षा अध्ययन हेतु अपने घर से विद्यालय जाते हैं एवं विद्यालय आने जाने हेतु बस मिनी बस आदि का उपयोग करते हैं। बालक विद्यालय में सुरक्षित रहे इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विद्यालयों में तथा स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तथा बच्चों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

इन दिशा–निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन की अधिक जानकारी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.rlsa.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। (टोल फ्री हेल्पलाइन 15100)।

बच्चों के कल्याण के संबंध में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी –

- उपर्युक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित निर्णय स्कीम एवं दिशा निर्देशों के क्रम में लेख है कि बालक हमारे देश का भविष्य हैं और शिक्षा आयोजन हेतु में अपने घर से विद्यालय आने जाने हेतु बस, मिनी बस, वेन, ऑटो एवं रिक्शा आदि बाल वाहिनी का उपयोग करते हैं।
- बालक बाल वाहिनियों के माध्यम से सुरक्षित यात्रा कर सकें, इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा संदर्भ आदेश के माध्यम से विभिन्न आदेश जारी कर रखे हैं और इन आदेशों की पालना में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा भी कई दिशा–निर्देश जारी किए हैं किंतु इसके बावजूद भी विभाग की उदासीनता के कारण इन आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन यथावत रूप से नहीं हो रहा है।
- माननीय न्यायाधिपति श्री के एस झावेरी न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बच्चों के कल्याण को सर्वोपरि विषय मानते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसकी अधिक जानकारी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.rlsa.gov.in पर उपलब्ध है।

बेटियों के सम्मान में यूनिसेफ की भागीदारी से लाडो परियोजना की शुरूआत

अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर टोंक में बाल विवाह एवं अन्य कुरीतियों से लड़कर उल्लेखनीय कार्य करने वाली 11 बालिकाओं का सम्मान किया गया। बालिकाओं को लाडो मैडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर किशोरी बालिकाओं के लिए संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लाडो परियोजना की विधिवत शुरूआत की गई।

कार्यक्रम में यूनिसिफ, बाल संरक्षण अधिकारी संजय कुमार निराला ने लाडो परियोजना की जानकारी देते हुए बताया की यह परियोजना किशोरी बालिकाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के साथ सहयोग करेगी।

SPUP Knowledge Is Power | unicef unite for children | Center for Child protection

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में

विधिक सेवा के उभरते आयाम – एक नजर

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम–2011

सम्माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (क्रिमी) नं. 129/06 द्वारा लक्ष्मी ;अवयस्कद्ध बनाम संघ प्रदान किये गये निर्देशों की अनुपालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 ए के प्रावधानुसार राज्य में अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुए पुर्नवास की अपेक्षा रखने वाले ऐसे पीड़ित या उनके आश्रितों को प्रतिकर/पुनर्वास हेतु राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है।

आवेदन कौन करेगा ?

ऐसी अवस्था में पीड़ित या उसका आश्रित बिना किसी सद्भावना विलम्ब के संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति पुनर्वास हेतु आवेदन कर सकेगा।

पीड़ित कौन है ?

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और जिसे पुर्नवास की आवश्यकता है और अभिव्यक्ति ''पीड़ित'' में उसके आश्रित भी सम्मीलित है।

आवेदन कहाँ होगा?

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लेकिन ऐसा आवेदन अपरसध होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर करेंगे।

क्र.सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियां	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1.	जीवन हानि	2,00,000/–रू.
2.	किसी अंग या शरीर के भाग ही हानि जिसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत या अधिक विकलांगता हो गयी है	1,00,000/–रू.
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम विकलांगता हो गयी है	50,000/–रू.
4.	अवयस्क के साथ बलात्संग	3,00,000/–रू.
5.	बलात्संग	2,00,000/–रू.
6.	पुनर्वास	1,00,000/–रू.
7.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत विकलांगता हो गयी है	25,000/–रू.
8.	मानव दुर्व्यापार जैसे मामाले में जिसके महिलाओं और बाल पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि वा क्षति हुई है	25,000/–रू.
9.	बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति	20,000/–रू.
10.	तेजाब द्वारा सिर या चेहरे की स्थायी विद्रुपता	2,00,000/–रू.

सम्पर्क करें:– राज्य स्तर पर–विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर, जिला स्तर पर–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका स्तर पर–तालुका विधिक सेवा समिति

www.rlsa.gov.in | Fax- 0141-2227602 | Help Line No:-0141-2385877 | E-mail do udori@gmil.com

इस न्यूज लेटर का उद्देश्य पाठकों को बच्चों के अधिकारों से संबंधित पुलिस, सरकार, एवं अन्य लोगों, संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। इस न्यूजलेटर हेतु पाठकों के सुझाव, अनुभव, लेख सादर आमंत्रित है।

E-mail : ccp@policeunivercity.ac.in

न्यूज लेटर लेखन एवं संपादन :

सेन्टर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन

सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान

संपादकीय टीम :– राजीव शर्मा (IPS), संजय कुमार निराला, श्रद्धा पाण्डे, डॉ विजेन्द्र सिंह, प्रवीण सिंह।